



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – कोतवाली फतेहगढ़

दिनांक :- 16.09.2023

**कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा व्हाट्सएप पर वायरल वीडियो में तमंचा लहराने वाले युवक को 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर सहित किया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रदीप सिंह के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर व्हाट्सएप पर तमंचे के साथ वायरल हो रहे वीडियो से सम्बन्धित अभियुक्त अभिषेक उर्फ छोटू वाधम पुत्र सुरेन्द्र वाधम निवासी हाथीखाना, कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़ को 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली फतेहगढ़ पर मु०अ०स०- 458/23 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अभिषेक उर्फ छोटू वाथम पुत्र सुरेन्द्र वाथम निवासी हाथीखाना, कोतवाली फतेहगढ़ जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म की मांफी मांगते हुये बताया गया कि वाट्सएप पर वीडियो बनाते समय 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज मेरे पास था जो आप लोगो ने बरामद कर लिया है।

### बरामदगी का विवरण:-

01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0स0- 458/23 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़।
- 2- मु0अ0स0- 156/22 धारा-147/323/452/504 भादवि व 3(1)द/3(1)ध एससी/एसटी एक्ट कोतवाली फतेहगढ़, जनपद फतेहगढ़।

### गिरफ्तार/बरामद करने वाली कोतवाली फतेहगढ़ पुलिस टीम:-

- 1- उ0नि0 उदय सिंह
- 2- हे0का0 सौदान सिंह
- 3- का0 अरविन्द कुमार

**मीडिया सेल फतेहगढ़**



# फतेहगढ़ पुलिस



प्रेस नोट – थाना कमालगंज

दिनांक :- 16.09.2023

**थाना कमालगंज पुलिस द्वारा 01 नफर अभियुक्त को 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर सहित किया गिरफ्तार।**

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर श्री आलोक सिंह के निर्देशन, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक कानपुर रेंज कानपुर श्री प्रशान्त कुमार के कुशल पर्यवेक्षण, श्रीमान पुलिस अधीक्षक फतेहगढ़ श्री विकास कुमार के मार्गदर्शन, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक डा० संजय सिंह व क्षेत्राधिकारी अमृतपुर श्री रवीन्द्रनाथ राय के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कमालगंज पुलिस द्वारा अभियुक्त मोहित शर्मा पुत्र कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी मो० सुभाष नगर कस्बा व थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़ को 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर के साथ गिरफ्तार कर थाना कमालगंज पर मु०अ०स०- 377/23 धारा- 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।



### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

मोहित शर्मा पुत्र कैलाशचन्द्र शर्मा निवासी मो0 सुभाष नगर कस्बा व थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

पूछताछ का विवरण:- पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा अपने जुर्म की मांफी मांगते हुये बताया गया कि साहब मुझसे गलती हो गयी है एवं अपनी सफाई जरिये अधिवक्ता मा0 न्यायालय में देना बताया।

### बरामदगी का विवरण:-

01 अदद तमंचा व 01 अदद जिंदा कारतूस 12 बोर ।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

- 1- मु0अ0सं0 59/2019 धारा 414 भादवि थाना GRP फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़।
- 2- मु0अ0सं0 58/2019 धारा 401 भादवि थाना GRP फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़।
- 3- मु0अ0सं0 61/2019 धारा 25 A. Act भादवि थाना GRP फर्रुखाबाद, जनपद फतेहगढ़।
- 4- मु0अ0सं0 377/2023 धारा 3/25 A. भादवि थाना कमालगंज जनपद फतेहगढ़।

### गिरफ्तार/बरामद करने वाली थाना कमालगंज पुलिस टीम:-

- 1- थानाध्यक्ष राजेश राय
- 2- उ0नि0 प्रशान्त कुमार
- 3- का0 विश्वेन्द्र प्रताप सिंह
- 4- का0 देवेन्द्र सिंह

**मीडिया सेल फतेहगढ़**





OPPO A9 · © Ajay yadav  
2023/09/16 17:50





# फतेहगढ़ पुलिस



**Meticulous Investigation & Prosecution**

**#OperationConviction**

## थाना शमसाबाद

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त जब्बार अली पुत्र छिदू खा नि० अमलैया आशानन्द थाना शमसाबाद जनपद फतेहगढ़ मु०अ०सं०- 196/2018 वाद सं०- 80/2018 धारा 376 भादवि व 5m/6 पाक्सो एक्ट थाना शमसाबाद में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय में प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए दिनांक 16.09.2023 को मा० न्यायालय पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद फर्रुखाबाद द्वारा अभियुक्त जब्बार अली पुत्र छिदू खा उपरोक्त को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का कारावास व 20,000 रुपये के जुर्माने से दण्डित किया गया।



एडीजीसी श्री प्रदीप कुमार



एडीजीसी अनुज कटियार



पैरोकार का० अविनाश तोमर



@fatehgarhpolic



@fatehgarhpolic



fatehgarhpolic